

# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली।

## कार्यालय आदेश


प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव, प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई राजापाकर के ज्ञापांक 493 दिनांक 10.08.2021 द्वारा दिनांक 09.08.2021 को वर्ग VI-VIII हिन्दी विषय में अभ्यर्थियों के काउंसिलिंग के उपरान्त किए गये चयन को रद्द करने हेतु अनुमति प्राप्त हुई है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव, प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई राजापाकर द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक 09.08.2021 को वर्ग VI-VIII हिन्दी विषय हेतु सम्पन्न काउंसिलिंग को रद्द किया जाता है। विभागीय निदेश के आलोक में काउंसिलिंग की अगली तिथि निर्धारित की जाएगी।

**ED**  
जिला शिक्षा पदाधिकारी  
वैशाली।


ज्ञापांक ..... 9508 ..... हाजीपुर, दिनांक ..... 11.08.2021

प्रतिलिपि- प्रखंड विकास पदाधिकारी राजापाकर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजापाकर एवं आई0टी0 मैनेजर वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर से अनुरोध है कि इसे जिला के NIC के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

  
जिला शिक्षा पदाधिकारी  
वैशाली।

ज्ञापांक ..... 9508 ..... हाजीपुर, दिनांक ..... 11.08.2021

प्रतिलिपि- निदेशक(प्रा0शि0) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

  
जिला शिक्षा पदाधिकारी  
वैशाली।